17/2016

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

20–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, राज्य मुख्याधिकारी, खाद्य खंड शासन सचिवालय, जयपुर से निम्न सूचना चाही थी:–

> बी.एल.ओ पुस्तिका 2011 के पृष्ट संख्या 4 के बिन्दु सख्या 3 में अंकित है कि "संबंधित बूथ लेबल अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपना निर्वाचन संबंधी प्रभार सौंपे बिना किसी भी दशा में अवकाश पर प्रस्थान न करे।"
>
> 1– उपरोक्त आदेश की पालना में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, जिस अधिकारी से चुनाव डयूटी के कार्यो का निष्पादन करते समय, अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़कर जिला निर्वाचन अधिकारी , उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से अनुमति लेकर जायेगा, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 2. जिस अधिकारी को अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़कर जाने पर अपने कार्य का प्रभार सौंप कर जायेगा। उसकी सूचना व निर्वाचन नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 3. अवकाश लेकर मुख्यालय छोडने हेतू जिस अधिकारी से कितने दिन पूर्व अनुमति लेना कानूनन आवश्यक है उसकी सूचना व निर्वाचन नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के पत्रांक 73 दिनांक 06.01.15 की पालना में जो प्रार्थी को 19.01.16 को प्राप्त हुआ है के सन्दर्भ में प्रथम अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्रस्तुत कर उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने एंव लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाने की प्रार्थना की गयी है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 165 दि0 09.02.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 06 दिनांक 04.01.16 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 06 दि0 04.01.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
17/2016

A3/2

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–

बिन्दू सं0 1 से 3 की सूचना के लिए आपको अवगत करवाया जाता है कि बीएलओ पुस्तिका 2011 के कुल पृष्ठ 136 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतू निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावें ताकि आपको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सके। इसके अतिरिक्त यदि आपको दी जाने वाली उक्त सूचना का आप अवलोकन करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में कर सकते है।

इसके अलावा आपको सूचित किया जाता है कि आप चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचनांओ के संबंध 136 पृष्ट की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है एवं इसके अतिरिक्त दी जाने वाली सूचना का अवलोकन करने व उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए भी आवेदन करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 से 3 की 136 पृष्ट की सूचना के लिए उक्तानुसार 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 04.01.2016 सही है।

फिर भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त सूचनाओ के संबंध में अपीलार्थी रिकार्ड का अवलोकन करना चाहे तो 15 दिवस की तिथी तय कर अपीलार्थी को उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करवा दिया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध रिकार्ड में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

9333-34
29.12.16

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर